प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2023
प्र0इ0रि0 सं. 139/2023 दिनांक 6/6/2023

2. (I) * अधिनियम **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)**
धाराये **13 (2) सपठित 13 (1) (ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 13 (2) सपठित 13 (1) (ख) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)**

(II) * अधिनियम .... भा.दं.सं... .... धारायें ...

(III) * अधिनियम .... धारायें ....

(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....107........समय . 3:15 P.M.

(ब) अपराध घटने का दिन **दिनांक 18.09.2008 से दिनांक 17.12.2021 तक**

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक .... समय .... पी.एम.

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक **लिखित**

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– **दक्षिण पश्चिम दिशा, लगभग 400 किमी.**

(ब) **उदयपुर।**

....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :--

(अ) नाम **श्री मांगी लाल**

(ब) पिता/पति का नाम **श्री भगवान सहाय**

(स) जन्म तिथी/वर्ष करीब ....**58** साल...

(द) राष्ट्रीयता . भारतीय...

(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह ....

(र) व्यवसाय – **उप पुलिस अधीक्षक, एस.यू. द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।**

(ल) पता-- **निवासी प्लॉट नं. 465ए, तारानगर, झोटवाडा, जयपुर**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : --

श्री सुमित कुमार पुत्र श्री रामनिवास जाति जाट उम्र 35 साल निवासी गांव कुलोठकलां पुलिस थाना सूरजगढ, जिला झुंझुनू हाल निवासी नेचर हिल पैलेस, चिकलवास, बडगांव, उदयपुर तत्कालीन कानि. नं. 706 जिला बांसवाडा हाल (सेवा से त्यागपत्र)

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-....कोई नहीं.

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).......

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य **1,19,12,052.17** रूपये

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):

महोदय,

निवदेन है कि दिनांक 04.01.2023 को श्री विकास अग्रवाल ने इस आशय कि लिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.आई.यू एसीबी जयपुर को पेश की कि "मैं विकास अग्रवाल, नि0 55 सुलभ पुरम, सिकन्दरा– बोदल रोड, आगरा का रहने वाला हूँ। मेरी हरिद्वार में JPEE Drugs के नाम से दवाई बनाने की फैक्ट्री है। मेरी फैक्ट्री में अैलोपैथी की दवाईया बनती है। 23/12/2022 को श्री म0 दिव्या मित्तल ASP SOG- Ajmer हमारी हरिद्वार फैक्ट्री में अपने स्टॉफ हैड vivek से मिली थी व उनको बताया कि अजमेर में साईकोट्रोपिक ड्रग से सम्बंधित तीन मुकदमें दर्ज हुए है। उन मुकदमों में मिली दवाईयों में से कुछ दवाईया आपकी फैक्ट्री में से बनी है। स्टाफ हैड विवेक ने मेरी बात ASP Divya Mittal से कराई थी तो उन्हौने मुझे कहा कि आप अपने स्टाफ से कहो कि वो अपना दोनो सोफटवेयर मार्क और टैली खाल कर मुझे दे दे तथा कहा कि मै आपको नोटिश इशु कर रही हूं। जब मैने आकर देखा तो नोटिस में मुकदमा न0 183/2021 धारा 8/22, 8/29 NDPS ऐक्ट में दि0 26/12/2022 को 10 बजे SOG कार्यालय अजमेर पर अनुंसधान हेतु उप्सथित होने के लिए लिखा था। इस पर मैं मेरा मित्र मोहित और शेर खान SOG कार्यालय अजमेर गये थे तब मैडम ने बोला आप 30/12/2022 को POD ले कर आना उसके उसके बाद मैने ASP Divya Mittal से उनके मोबाईल न0 7023403107 पर बात कर 2/01/2023 को आने के लिए बोला था व 2/01/23 को मैं अजमेर जा कर मैडम से मिला उनहोने मुझे गिरफतारी का डर दिखाया व काफी देर तक डराया धमकाया और कहा कि तुमहारे डोक्यूमैंट अधुरे है तथा आप गलत कार्य करते हो तो मैने उनसे कहा कि मेरी फैक्ट्री में कोई भी अवैध दवाई नहीं बनती ना ही कोई दवाई बिना बिल के बेची जाती है। हम नीयम अनुसार ही काम करते है। हमारे सारे दस्तावेज सही है उसके बाद मुझे 3/1/2023 को वापस ASP Divya Mittal madam के औफिस में गया तो इधर उधर की बाते करने के बाद उनहोने कहा कि तुम उदयपुर रोड पर जाओ वहां तुमको एक फोन आयेग उससे बात कर लेना उसके आधा घंटा बाद मेरे मोबाइल पर +63-9666394692 से whats app call आया फोन करने वाले बताया कि मैं सुमित बोल रहा हूं मुझे दिव्या मैडम ने आपके न0 दिये है आप नाथद्वारा आ जाओ हमारे नाथद्वारा पहुचने के बाद उस व्यक्ति ने हमें उदयपुर बुलाया। उदयपुर पहुंचकर उसने हमे Skoda शौरूम पर बुलाया और हमारे आगे पीछे दो गाडी लगा कर एस्कोर्ट कर नेचर हिल रिसोर्ट पर ले गये। वहां पर एक कमरे में ले जाकर कर सुमित ने मेरी जैकेट व जुते उतरवा कर बारीकी से तलाशी ली और उसके बाद उसने SOG अजमेर में दिव्या मैडम के पास दरज मुकदमों में गिरफ्तारी का डर दिखा कर 2 करोड रूपय की मांग की और कहा कि तीनो FIR में नाम निकाल देगें जिस पर मैंने असमर्थता जाहिर की और कहा मैं इतने रूपये नहीं दे सकता चाहे आप मुझे गिरफतार कर लो मैं निर्दोष हूं उसके बाद सुमित ने मुझे काफी डराया और ASP दिव्या मित्तल से अपने फोन से बात करायी। तब मैडम ने कहा कि सुमित जो बोल रहा है वो डिमांड आपको पूरी करनी पडेगी इसमें सिर्फ मेरी नहीं उपर तक मुझे पैसे देने पडते है। आप पैसे दोगे तो ठीक रहेगा वरना जेल जाना पडेगा। उसके बाद मैने कहा कि मुझे कुछ समय चाहिये तो सुमित ने बोला आपको 2 दिन का समय दिया जाता है। हमे वापस सुमित ने वापस उसी फौरच्युनर गाडी न0 RJ 27 UF 8000 तथा स्कारपियो गाडी न0 RJ 15 न0 की थी से एसकोर्ट कर हाईवे तक छोड दिया। मैं उन भ्रष्ट ASP व उनके दलाल सुमित एंव अन्य साथीयों को रिष्वत नहीं देना चाहता उनको रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। उनके खिलाफ कार्यवाही करे। आदि पर रिश्वत मांग का सत्यापन कर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। कार्यवाही से श्रीमती दिव्या मित्तल,

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसओजी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 183/2021 अन्तर्गत धारा 8/22, 8/29 एनडीपीएस एक्ट में परिवादी श्री विकास अग्रवाल की फर्म जेपीईई ड्रग्स हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा निर्मित साईको ट्रोपिक ड्रग्स से सम्बन्धित दवाईयों के सम्बन्ध में परिवादी व उसके पिता को गिरफ्तारी का भय दिखाकर गिरफ्तार नहीं कर मुकदमें से नाम हटाने की एवज में अपने मध्यस्थ श्री सुमित के मार्फत दो करोड रूपये की रिश्वती राशि की मांग की जाकर बाद में एक करोड रूपये देना तय हुआ। दिनांक 12.01.2023 को रिश्वती राशि लिये जाने से पूर्व आरोपी संदिग्ध अधिकारी दिव्या मित्तल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,एसओजी, अजमेर ने परिवादी श्री विकास अग्रवाल द्वारा सम्पर्क किये जाने पर उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में दिनांक 07.01.2023 को उनके मध्यस्थ श्री सुमित द्वारा तय की गई राशि नही देने पर परिवादी व उसके पिता को गिरफ्तार करने की धमकी देते हुए कहा कि– आप ये बारगेनिंग बनिया वाली बात मत करो, मेरी बात को समझो मेरे स्तर से कुछ नहीं होता और ये बनिये की दुकान नहीं है और यह मामला बहुत गंभीर है आदि कहने पर परिवादी द्वारा बार–बार दस लाख रूपये तक की रिश्वत राशि की व्यवस्था कर पाने की कहने पर आरोपिया ने कहा कि "यह नहीं हो सकता मैंने एक बार बता दिया नहीं तो तुझे हरिद्वार आकर वहां उठाना पडेगा" की कहकर परिवादी व उसके पिता को उक्त मुकदमें में गिरफ्तार करने की धमकी देते हुए अपने मध्यस्थ को एक करोड रूपये में से परिवादी द्वारा निवेदन किये जाने पर प्रथम किस्त के रूप में 25 लाख रूपये बतौर रिश्वत दिये जाने की वार्ता की गई। आरोपी अधिकारी की उक्त वार्ता के अनुसरण में परिवादी द्वारा आरोपी अधिकारी के मध्यस्थ श्री सुमित कुमार के द्वारा परिवादी को व्हाटसअप कॉल कर वार्ता कर रिश्वती राशि 25 लाख रूपये प्राप्त करने हेतु उदयपुर से अजमेर पहुंचने की सूचना देने तथा अजमेर पहुंचने पर आरोपी अधिकारी व उसके मध्यस्थ द्वारा परिवादी व ब्यूरो टीम की जा रही रैकी के कारण ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने के कारण परिवादी से बिना रिश्वत राशि प्राप्त किये बिना ही अजमेर से फरार हो गया। इस पर प्रकरण संख्या 13/2023 दिनांक 14.01.2023 अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 120 बी भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। दौराने अनुसंधान आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल एवं श्री सुमित कुमार के फार्म हाउस, नेचर हिल पैलेस, चिकलवास, बडगांव उदयपुर व अन्य मकानों की तलाशी हेतु माननीय न्यायालय से तलाशी वारण्ट प्राप्त कर दिनांक 16.01.2023 को तलाशी की कार्यवाही की गई। तलाशी में बैंक खातों एवं चल/अचल सम्पति से संबंधित दस्तावेजात आदि पाये गये, जिनको जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया।

उपरोक्त दस्तावेजों की जॉच से पाया गया कि चेक अवधि दिनांक 18.09.2008 से दिनांक 17.12.2021 तक श्री सुमित कुमार ने पुलिस विभाग में लोक सेवक की हैसियत से कॉनिस्टेबल के पद पर जिला उदयपुर एवं बांसवाडा तथा आबकारी विभाग उदयपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन के दौरान अपनी आय **22,76,148/–** रूपये के विरूद्व **1,19,12,052.17** रूपये की अनुपातहीन रूप में परिसम्पतियॉ अभिप्राप्त की गई है। चेक अवधि उसकी सरकारी सेवा में आने की दिनांक **18.09.2008** से दिनांक **17.12.2021** सेवा से त्याग पत्र तक ली गई है।

आरोपी श्री सुमित कुमार की चेक अवधि से पहले की परिसम्पतियों को स्टेटमेंट **"ए"**, चेक अवधि के अन्तिम दिन मौजूद परिसम्पत्यिों को स्टेटमेंट **"बी"**, चेक अवधि के दौरान प्राप्त आय को स्टेटमेंट **"सी"** एवं चेक अवधि के दौरान किये गये खर्चो को स्टेटमेंट **"डी"** के रूप में दर्शाया गया है।

चेक अवधि दिनांक **18.09.2008** से पूर्व आरोपी श्री सुमित कुमार के नाम चल/अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है।

<u>स्टेटमेंट "ए"</u>

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	सम्पति धारक/स्वामी का नाम	प्राप्ति श्रोत

		नाम	
1.	ग्राम पंचायत कुलोठ कलां तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 607, रकबा 1.47 हैक्टेयर, ख.नं. 611 रकबा 5.54 हैक्टेयर किला दो कुल रकबा 7.01 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा	श्री सुमित कुमार के नाम	पैतृक
2.	ग्राम पंचायत कुलोठ कलां तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू में ख.नं. 630 रकबा 1.11 हैक्टेयर सुमित कमार के पिता रामनिवास पुत्र श्री जीताराम जाति जाट का 1/8 हिस्सा है। जिसमें सुमित कुमार पुत्र रामनिवास का 1/16 हिस्सा है।	पिता रामनिवास के नाम	पैतृक
3.	ख.नं. 611 में बने एक पक्का मकान जिसमें 05 कमरे व एक हॉल बना हुआ है मकान के सामने एक चारे का गैरेज व दो कमरे व लेटबॉथ व मकान के साईड में अलग से एक कमरा, एक हॉल, दो तरफ बरामदा बना हुआ है। में सुमित कुमार का 1/2 हिस्सा है।	श्री सुमित कुमार एवं उसके भाई के नाम शामलाती	पैतृक
कुल योग			0

इस प्रकार श्री सुमित कुमार के नाम चेक अवधि दिनांक **18.09.2008** से पूर्व कुल 0/– रूपये की सम्पतियां मौजूद थी।

स्टेटमेंट "बी"

चेक अवधि के अन्त में दिनांक **17.12.2021** को आरोपी श्री सुमित कुमार के नाम बैक खातो में शेष राशी का ब्यौरा निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	खाता धारक का नाम	बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम	खाता संख्या	शेष जमा राशी
1.	श्री सुमित कुमार का नेचर हिल पैलेस के नाम से चालू खाता	बैंक ऑफ बडौदा, शाखा फतेहपुरा उदयपुर	39830200000382	3,522.52
2.	श्री सुमित कुमार	बैंक ऑफ बडौदा, शाखा फतेहपुरा उदयपुर	39830100005884	1,105.75
3.	श्री सुमित कुमार	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू क्लोथ मार्केट, बांसवाडा	61138570016	17,123.42
कुल योग				**21,751.69**

चेक अवधि के अन्त में दिनांक **17.12.2021** को आरोपी श्री सुमित कुमार के नाम पर मौजूद चल/अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है।

अचल सम्पतियाँ

क.सं.	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति धारक/स्वामी का नाम	सम्पत्ति अधिग्रहण की दिनांक	सम्पत्ति की कीमत रूपयों में

1.	ग्राम पंचायत कुलोठ कलां तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 607, रकबा 1.47 हैक्टेयर, ख.नं. 611 रकबा 5.54 हैक्टेयर किला दो कुल रकबा 7.01 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा	श्री सुमित कुमार के नाम	पैतृक	—
2.	ग्राम पंचायत कुलोठ कलां तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू में ख.नं. 630 रकबा 1.11 हैक्टेयर सुमित कमार के पिता रामनिवास पुत्र श्री जीताराम जाति जाट का 1/8 हिस्सा है। जिसमें सुमित कुमार पुत्र रामनिवास का 1/16 हिस्सा है।	पिता रामनिवास के नाम	पैतृक	—
3.	ख.नं. 611 में बने एक पक्का मकान जिसमें 05 कमरे व एक हॉल बना हुआ है मकान के सामने एक चारे का गैरेज व दो कमरे व लेटबॉथ व मकान के साईड में अलग से एक कमरा, एक हॉल, दो तरफ बरामदा बना हुआ है। में सुमित कुमार का 1/2 हिस्सा है।	श्री सुमित कुमार एवं उसके भाई के नाम शामलाती	पैतृक	—
4.	ख.नं. 611 में बने एक पक्का मकान एक कमरा, एक हॉल, दो तरफ बरामदा में सुमित कुमार का 1/2 हिस्सा है।	श्री सुमित कुमार एवं उसके भाई के नाम शामलाती	पैतृक	4,00,000/—
5.	राजस्व ग्राम चिकलवास, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर के खसरा नम्बर 1647 मीन, 1648 मीन, 1650/1, 1654/1, 1652/1, 1653 मीन एवं 1656/4 में कुल 26,605 वर्गफीट का फार्म हाउस, भूखण्ड संख्या 01 जिसके साथ लगते श्रीमती दिव्या मित्तल के फार्म हाउस एवं आरोपी सुमित कुमार के फार्म हाउस में संयुक्त रूप से नेचर हिल पैलेस संचालित किया जा रहा है। खरीद = 49,62,000/— रजिस्ट्री खर्चा = 3,79,536/— कुल 53,41,536/—	श्री सुमित कुमार	18.06.2020	53,41,536/—
	कुल योग			**57,41,536/—**

आरोपी श्री सुमित कुमार के फार्म हाउस, नेचर हिल पैलेस, बड़गांव, चिकलवास, उदयपुर की दिनांक **16.01.2020** को खाना तलाशी में सुमित कुमार के हिस्से में निम्नानुसार सामान पाया गया।

क.सं.	सामान	कीमत रूपयों में
1	टॉवरनुमा कॉटेज में एक कपल रूम प्रत्येक रूम में एक–एक डबल बैड मय गद्दा मय लेटबाथ लेट बाथ में बाल्टी, मग, गीजर, पाटिया	1,35,000/
2	5 कॉटेज रूम में एक डबल बेड मय गद्दा एक टेबल लकड़ी की, अटैच लेट बाथ–लेट बाथ में बाल्टी, मग, गीजर, पाटिया।	1,25,000/

3	स्विमिंग पूल	5,00,000/–
	कुल योग	**7,60,000/–**

इस प्रकार आरोपी श्री सुमित कुमार के द्वारा स्वयं अपने नाम चेक अवधि दिनांक **18.09.2008** से दिनांक **17.12.2021** तक कुल **65,23,287.69/–** रूपये की परिसम्पत्तियां अर्जित की गई।

स्टेटमेंट "सी"

चेक अवधि दिनांक **18.09.2008** से दिनांक **17.12.2021** तक आरोपी श्री सुमित कुमार की आय का ब्यौरा निम्नानुसार है।

क.सं.	आय का विवरण	आय रूपयों में
1.	वेतन से प्राप्त शुद्व आय	22,69,991/–
	कुल योग	**22,69,991/–**

चेक अवधि दिनांक **18.09.2008** से दिनांक **17.12.2021** तक आरोपी श्री सुमित कुमार के द्वारा बैंक खातो में ब्याज से प्राप्त आय का ब्यौरा निम्नानुसार है।

कम संख्या	खाता धारक का नाम	बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम	खाता संख्या	शेष/प्राप्त राशी
1.	श्री सुमित कुमार	बैंक ऑफ बडौदा, शाखा फतेहपुरा उदयपुर	39830100005884	915/–
2.	श्री सुमित कुमार	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू क्लोथ मार्केट, बांसवाडा	61138570016	5,242/–
		कुल योग		**6,157/–**

इस प्रकार चेक अवधि दिनांक **18.09.2008** से दिनांक **17.12.2021** तक आरोपी सुमित कुमार द्वारा **22,76,148/–** रूपये की कुल आय प्राप्त की गई है।

स्टेटमेंट "डी"

चेक अवधि दिनांक **18.09.2008** से दिनांक **17.12.2021** तक आरोपी सुमित कुमार द्वारा खाने पीने पर सकल वेतन **27,27,877/–** रूपयो में से **8,090/–** रूपये आयकर घटाने के बाद **27,19,787/–** रूपये का एक तिहाही **9,06,595/–** रूपये खर्च किया गया।

आरोपी श्री सुमित कुमार के राजस्व ग्राम चिकलवास, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर के खसरा नम्बर 1647 मीन, 1648 मीन, 1650/1, 1654/1, 1652/1, 1653 मीन एवं 1656/4 में कुल 26,605 वर्गफीट का फार्म हाउस, में निर्माण में अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड–द्वितीय, उदयपुर की मुल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कुल खर्चा **9,42,811.90 + 45,16,395.51 + 12,99,110.07 कुल राशि 67,58,317.48** रूपये।

इस प्रकार चेक अवधि दिनांक **18.09.2008** से दिनांक **17.12.2021** तक आरोपी सुमित कुमार के द्वारा कुल **76,64,912.48** रुपये खर्च किये गए।

श्री सुमित कुमार के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू क्लोथ मार्केट, बांसवाडा में संधारित बचत खाता संख्या **61138570016** जिसमें श्री सुमित कुमार को वेतन प्राप्त हो रहा था। श्री सुमित कुमार के उक्त बैंक खाते में दिनांक **10.08.2011** से दिनांक **09.12.2020** तक कुल **9,10,100/–**रूपये स्वयं के द्वारा नगद जमा करवाना पाया गया हैं तथा इसी अवधि के दौरान अन्य बैंक खातों से कुल **12,92,200/–** रूपये श्री सुमित कुमार के उक्त खातें में ट्रान्सफर से जमा होना पाया गया हैं। श्री

सुमित कुमार के बैंक ऑफ बडौदा, शाखा फतेहपुरा उदयपुर में संधारित बचत खाता संख्या **39830100005884** में चेक अवधि के दौरान दिनांक **11.08.2020** से दिनांक **11.05.2021** तक कुल **4,95,351/–** रूपये श्रीमती दिव्या मित्तल के द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से बैंक खाते से एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 हजार रूपये एवं इससे अधिक की राशि बार–बार में कुल **14,77,451/–** रूपये ट्रान्सफर किया जाना पाया गया। तथा चेक अवधि के बाद उक्त खाता संख्या **39830100005884** में दिनांक **02.10.2022** से दिनांक **08.01.2023** तक भी श्रीमती दिव्या मित्तल द्वारा कुल **1,44,841/–** रूपये ट्रांसफर से जमा किये गये।

इसके अलावा श्रीमती दिव्या मित्तल एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा आरोपी श्री सुमित कुमार के बैंक ऑफ बडौदा, फतेहपुरा, उदयपुर में नेचर हिल पैलेस के नाम से खाता संख्या **39830200000382** में चेक अवधि के दौरान दिनांक **27.01.2020** से दिनांक **04.05.2021** तक कुल **15,65,971/–** रूपये श्रीमती दिव्या मित्तल के द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से बैंक खाते से एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 हजार रूपये एवं इससे अधिक की राशि बार–बार में कुल **1,03,89,757 /–** रूपये ट्रान्सफर एवं नगद रूप में जमा किया जाना पाया गया हैं, जिसमें दिनांक **04.03.2020** से दिनांक **04.05.2021** तक कुल **26,16,000/–** रूपये नगद जमा करवाये गये शामिल हैं। तथा चेक अवधि के बाद उक्त खाता संख्या **39830200000382** में दिनांक **30.12.2021** से दिनांक **17.12.2022** तक भी श्रीमती दिव्या मित्तल के द्वारा **3,74,000/–** रूपये ट्रांसफर से एवं एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 हजार रूपये एवं इससे अधिक की राशि बार–बार में कुल **50,08,301/–** रूपये ट्रांसफर से बडी–बडी रकम के रूप में ट्रांसफर से एवं नगद जमा किये गये हैं। गोपनीय सुत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री सुमित कुमार कानि. उदयपुर एवं बांसवाडा जिलों में तथा आबकारी विभाग, उदयपुर में पदस्थापन के दौरान अवैध शराब माफियाओं से मिलीभगत कर उनकी अवैध शराब की गाडियां पार करवाने बदले अनुचित लाभ के रूप में राशि प्राप्त की जाती थी, जिसको नगद रूप में प्राप्त कर अपने बैंक खातों में जमा करवाया जाता था तथा अन्य लोगों के मार्फत अपने बैंक खातें में राशि प्राप्त की जाती थी। अतः उक्त खातों में हुई लेन–देन संदिग्ध पाये गये हैं, जिसकी अनुसंधान के दौरान जांच की जानी आवश्यक हैं।

अनुपातहीन सम्पति :–

i	चेक अवधि से पूर्व की सम्पतियों का कुल मुल्य (स्टेटमेंट **"ए"**)	**0**
ii	चेक अवधि के अन्त में मौजूद सम्पतियों का कुल मुल्य (स्टेटमेंट **"बी"**)	**65,23,287.69**
iii	चेक अवधि के दौरान अर्जित सम्पतियों का कुल मुल्य = (ii) - (i)	**65,23,287.69**
iv	चेक अवधि के दौरान वैध स्रोतो से अर्जित कुल आय (स्टेटमेंट **"सी"**)	**22,76,148**
v	स्टेटमेंट **"डी"** (चेक अवधि के दौरान किये गये खर्चो का कुल मुल्य)	**76,64,912.48**
vi	अनुपातहीन सम्पति { (iii + v) – iv}	**1,19,12,052.17**
vii	अनुपातहीन सम्पति का प्रतिशत	**523.34**

इस प्रकार श्री सुमित कुमार के द्वारा चेक अवधि के दौरान उसकी कुल आय **22,76,148**/- रूपये के विरूद्व **1,19,12,052.17** रूपये की अनुपातहीन रूप में परिसम्पतियॉ अभिप्राप्त की गई है। उक्त परिसम्पतियॉ श्री सुमित कुमार की आय के ज्ञात श्रोतों से **523.34** प्रतिशत अधिक है, जिसका उसके पास कोई संतोषप्रद लेखा जोखा नही है एवं सेवा अवधि के दौरान अपने आप को इरादतन अवैध रूप से सम्पन्न किया हैं।

इस प्रकार श्री सुमित कुमार पुत्र श्री रामनिवास जाति जाट उम्र 35 साल निवारी गांव कुलोठकलां पुलिस थाना सूरजगढ, जिला झुंझुनू हाल निवासी नेचर हिल पैलेस, चिकलवास, बडगांव उदयपुर तत्कालीन कानि. नं. 706 जिला बांसवाडा हाल (सेवा से त्यागपत्र) का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 13 (2) सपठित 13 (1) (ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 13 (2) सपठित 13 (1) (ख) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः श्री सुमित कुमार के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय को प्रेषित है।

भवदीय

05/6/2023

(मांगीलाल)
उप पुलिस अधीक्षक,
विशेष यूनिट– द्वितीय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राजस्थान जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मांगीलाल, उप अधीक्षक, विशेष यूनिट द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(2) सहपठित 13(1)(ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 13(2)सहपठित 13(1)(ख) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुमित कुमार पुत्र श्री रामनिवास, निवासी नेचर हिल पैलेस, चिकलवास, बड़गांव, उदयपुर, तत्कालीन कानि. नम्बर 706, जिला बांसवाड़ा हाल (सेवा से त्यागपत्र) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 139/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 1056-59 दिनांक 6.6.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-द्वितीय जयपुर।

6.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।